भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3377

जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

असम के जनजातीय लोगों हेतु प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई)

3377. श्री अमरसिंह टिस्सोः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाव जिलों में कितने प्रतिशत जनजातीय परिवारों को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) जनजातीय समुदायों को प्रधानमंत्री जन धन योजना से क्या लाभ हुए हैं;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में पीएमजेडीवाई के कार्यान्वयन में कोई विशिष्ट चुनौतियां सामने आई हैं/आ रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इनका समाधान किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ) प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत बैंकों द्वारा खोले गए खातों की कुल संख्या के साथ-साथ, असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाव जिलों में जमा राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

जिले	**कार्बी आंगलोंग**	**दीमा हसाव**
पीएमजेडीवाई खातों की कुल संख्या	3,00,711	60,718
पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि (करोड़ रुपए में)	97.5	37.89

पीएमजेडीवाई ने आदिवासियों सहित बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को राष्ट्रीय वित्तीय परिदृश्य के अंतर्गत एकीकृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएमजेडीवाई खाताधारकों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमे *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल हैं:

i. किसी भी बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों के लिए बिना किसी न्यूनतम शेषराशि की अपेक्षा के बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोला जाता है;
ii. खाता किसी भी बैंक शाखा या बैंकिंग आउटलेट में खोला जा सकता है, जिसका संचालन व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) द्वारा किया जाता है;
iii. इन खातों को खोलने के लिए कोई प्रभार नहीं लगाया जाता है;
iv. पीएमजेडीवाई खाताधारकों को 2 लाख रुपये (28.8.2018 से पहले खोले गए खातों के लिए 1 लाख रुपये) के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ एक निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है;
v. पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारक 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं;
vi. पात्र लाभार्थी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) अपने जन धन खातों में प्राप्त कर सकते हैं।

सरकार, *अन्य बातों के साथ-साथ,* निम्नलिखित विभिन्न उपायों के माध्यम से बुनियादी बैंकिंग अवसंरचना को सुदृढ बनाकर और अन्य समस्याओं का समाधान करके पीएमजेडीवाई के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने का प्रयास कर रही है:-

i. त्रैमासिक एसएलबीसी बैठकों में क्षेत्रीय मुद्दों सहित चल रहे मुद्दों पर चर्चा;
ii. 3000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गांवों में स्थायी बैंक शाखाएं खोलना;
iii. ऐसे गांव जिनके 5 किलोमीटर की परिधि में बैंकिंग आउटलेट नहीं हैं, में व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) की तैनाती,
iv. वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं और वित्तीय साक्षरता केन्द्र (सीएफएल) के रूप में काम करने वाले संगठनों द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

****